UPMB010012862021

<u>न्यायालय— अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0—01 / विशेष न्यायाधीश द0प्र0क्षे0 अधिनियम, महोबा।</u>

पीठासीन अधिकारी— राजीव कुमार पालीवाल एच0जे0एस0

सत्र वाद सं0—291 / 2021

CNR No.-UPMB010012862021

मु0अ0सं0—65 / 2021

राज्य बनाम चौधरी छत्रपाल यादव आदि

<u>08.10.2021</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण वास्ते आदेश हेतु नियत है। प्रार्थना पत्र 10ख पर पूर्व में उभय पक्षों को सुना जा चुका है।

अभियुक्त छत्रपाल की ओर से प्रार्थना पत्र 10ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह इस प्रकरण में अभियुक्त है तथा उसके विरूद्ध विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अन्तर्गत धारा—306, 504, 506 भा0दं0सं0 का अपराध न पाये जाने के कारण आरोप गठित नहीं हो रहा है। वह उक्त सम्बन्ध में बहस करना चाहता है जिसके लिए **"आत्म हत्या कथन"** तथा **"आत्म हत्या कथन"** को मृतक के हस्तलेख से मिलान किये जाने के सम्बन्ध में विशेषज्ञ की राय का पत्रावली में उपलब्ध रहना आवश्यक है। विवेचक द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। इन संकलित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्ट्या आरोप गठित नहीं हो रहा है।

अभियुक्त की ओर से प्रार्थना की गयी है कि उसे **उन्मोचित किये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।**

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र 10ख पर मौखिक रूप से आपत्ति व्यक्त की गयी है।

अभियुक्त पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि इस सत्र प्रकरण में विवेचक की ओर से ऐसी कोई मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य संकलित नहीं हुई जिसके आधार पर अभियुक्तगण पर अन्तर्गत धारा—306, 504, 506 भा0दं0सं0 आरोप विरचित हो सके। विवेचक द्वारा परिस्थिति

जन्य साक्ष्य के आधार पर ही आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न होने के कारण अभियुक्त अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0 के प्राविधान के अनुसार उन्मोचित होने योग्य है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क रखे गये कि इस प्रकरण में विवेचक द्वारा अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 साक्षियों के बयान अंकित किये गये हैं। मृतक का सुसाईड नोट भी बरामद किया गया है और सम्बन्धित होटल का सी0सी0टी0वी0 फुटेज भी प्राप्त किया है तथा विवेचना के दौरान बरामद सामग्रियों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भी परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है और सम्पूर्ण रूप से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचक द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। साक्ष्य के दौरान अभियोजन पक्ष मृतक के हस्तलेख से सम्बन्धित विशेषज्ञ की राय से सम्बन्धित प्रपत्र भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा और अपनी ओर से साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन कथानक को साबित भी करेगा। इस स्तर पर न्यायालय को केवल आरोप विरचित करने के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य पर विचार करना है और जिस प्रकृति की साक्ष्य विवेचक द्वारा इस प्रकरण में संकलित हुई है, उसके आधार पर इस प्रकरण से सम्बन्धित सभी अभियुक्तगण पर आरोप अन्तर्गत धारा–306, 504, 506 भा0दं0सं0 विरचित किये जाने के प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त आधार प्रतीत होते हैं। आरोप बहस के स्तर पर अन्य किसी अभियुक्त की ओर से न्यायालय से अवसर प्राप्ति के बावजूद भी उन्मोचन के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना नहीं की गयी है। उन्मोचन के सम्बन्ध में प्रार्थना केवल अभियुक्त छत्रपाल की ओर से की गयी है और जिन आधारों पर उन्मोचन की प्रार्थना की गयी है, उन आधारों पर अभियुक्त छत्रपाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य नहीं है।

अपने उक्त तर्कों के आधार पर अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त छत्रपाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 10ख को निरस्त होने योग्य बताया गया है।

न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली तथा विधि के प्राविधानों का सम्यक् रूपेण परिशीलन किया गया।

सर्व प्रथम स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह प्रकरण दिनांक–13.07.2021 से आरोप बहस के स्तर पर है तथा माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय महोबा के आदेश दिनांकित–07.09.2021 के अनुक्रम में, आरोप बहस के स्तर पर ही अंतरित होकर, विधि अनुसार निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। प्रकरण इस न्यायालय को निस्तारण हेतु प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक–08.09.2021, 18.09.

2021, 24.09.2021, 27.09.2021, 06.10.2021 की तिथि आरोप बहस / आरोप हेतु नियत रहीं। आरोप बहस पर दिनांक–06.10.2021 को न्यायालय द्वारा सुनवाई सुनिश्चित की गयी। दिनांक–06.10.2021 को ही अभियुक्त छत्रपाल की ओर से प्रार्थना पत्र 10ख वास्ते उन्मोचन प्रस्तुत हुआ। अन्य किसी अभियुक्त की ओर से कोई उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। दिनांक–06.10.2021 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त छत्रपाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 10ख पर सुनवाई की गयी तथा दिनांक–08.10.2021 की तिथि आदेश हेतु नियत की गयी है।

अभियुक्त छत्रपाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 10ख पर विधि के प्राविधान के अनुसार यदि विचार करें तो **धारा 227 दं0प्र0सं0** के प्रावधानानुसार–

यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गयी दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरूद्व कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्व करेगा।

उक्त विधिक प्रावधान से स्पष्ट है कि आरोप के स्तर पर धारा 227 दं0प्र0सं0 के प्रावधान के अनुसार विचार करते समय न्यायालय केवल इस तथ्य पर विचार करेगा कि जो अभिलेख व दस्तावेज अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं, उनके सम्यक् रूपेण परिशीलन के उपरांत अभियुक्त के विरूद्व आरोप विरचित करने के **प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार** हैं या नहीं। यदि अभियुक्त के विरूद्व आरोप विरचित करने के प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार हैं तो न्यायालय आगे कार्यवाही अग्रसारित करते हुए अभियुक्त पर सम्बन्धित धाराओं में आरोप विरचित करेगी और यदि प्रथम दृष्टया अभियुक्त पर आरोप विरचित करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं तो स्पष्ट रूप से ऐसे कारणों को अभिलिखित करते हुए अभियुक्त को उन्मोचित करेगी। उन्मोचन के प्रार्थनापत्र की सुनवाई के स्तर पर या आरोप के स्तर पर न्यायालय द्वारा **मिनीट्रायल नहीं** की जा सकती।

स्टेट ऑफ तमिलनाडू द्वारा इन्सपेक्टर ऑफ पुलिस विजिलेंस एण्ड एन्टी करप्शन बनाम एन. सुरेश राजन व अन्य (2014)11एस.सी.सी.709 के मामले में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न आशय का न्यायदृष्टांत प्रतिपादित है–

At the stage of consideration of an application for discharge,the court has to proceed with an assumption that the meterials brought on record by the prosecution are true and evaluate the said materials and documents with a view to find out whether the facts emerging there from taken at their face value disclose the existence of all the

ingredients constituting the alleged offence. At this stage,probative value of the materials has to be gone into and the court is not expected to go deep into the matter and hold that the materials would not warrant a conviction-What needs to be considered is whether there is a ground for presuming that the offence has been committed and not whether a ground for convicting the accused has been made out-To put it differently,if the court thinks that the accused might have committed the offence on the basis of the materials on record on its provative value, it can frame the charge;though for conviction the court has to come to the conclusion that the accused has committed the offence.The law does not permit a mini trial at this stage.

दुर्गेश कुमार शर्मा बनाम स्टेट आफ यूपी (इलाहाबाद) 2011 (2) जे.सीआर.सी. 1125 के प्रकरण में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत प्रतिपादित है कि आरोप बनाते समय यह आवश्यक नहीं है कि साक्ष्य का आंकलन कर सच्चाई का पता लगाया जाये। यदि गम्भीर संदेह भी उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में भी अभियुक्त के विरूद्व आरोप बनाना चाहिये तथा अभियोजन को अपना वाद अभियुक्त के विरूद्व सिद्ध किये जाने का एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिये।

जय प्रकाश बनाम स्टेट आफ यूपी (इलाहाबाद) 2011 (2) जे.सीआर.सी. 1142 के प्रकरण में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत प्रतिपादित है कि आरोप बनाते समय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों एवं दस्तावेजो के मूल्यांकन से यही जानना चाहिये कि क्या प्रथम दृष्टया आवश्यक तत्व स्थापित हो रहें हैं। साक्ष्य के अधिमूल्यन की आवश्यकता नहीं है।

दिनेश तिवारी बनाम स्टेट आफ यूपी 2014 (86) ए.सी.सी. 872 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस आशय का न्याय दृष्टांत प्रतिपादित है कि आरोप बनाने के लिये न्यायधीश के लिये आवश्यक नही है कि आरोप बनाने के क्या कारण हैं, यह अभिलिखित करें। यदि न्यायालय के दृष्टिकोण में ऐसे आधार उपलब्ध हैं कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है तब वह उस अपराध का आरोप बनाने के लिये सक्षम है, भले ही वह अपराध आरोपपत्र में सम्मिलित न हो।

इस प्रकरण के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रकार से उल्लिखित विधि व्यवस्था तथा न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में विचार करें तो पत्रावली के सम्यक रूपेण परिशीलन से यह तथ्य दर्शित होता है कि फरियादी राहुल पाठक जो कि मृतक मुकेश कुमार पाठक का पुत्र है, की ओर से घटना दिनांक–13.02.2021 को समय 10:45 बजे रात्रि

की बताते हुए घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–14.02.2021 को समय 9:46 बजे सम्बन्धित थाना कोतवाली नगर महोबा में दर्ज कराई।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि फरियादी राहुल पाठक के पिता मुकेश कुमार पाठक ने दिनांक–13.02.2021 को समय लगभग 10:45 बजे रात्रि में अपनी लाईसेंसी रायफल से **छत्रपाल व उसके साथियों रवि सोनी आदि की धौंस एवं दहशत की बजह से गोली मारकर आत्म हत्या कर ली है।**

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त विवेचक द्वारा विधिवत रूप से विवेचना प्रारम्भ की गयी और विवेचक द्वारा न केवल सम्बन्धित साक्षियों के मौखिक बयान अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये, बल्कि विवेचक द्वारा मृतक मुकेश कुमार पाठक की ओर से लिखित सुसाईड नोट, सम्बन्धित होटल की सी0सी0टी0वी0 फुटेज व अन्य वस्तुओं को भी बरामद किया गया और बरामदशुदा वस्तुओं को अलग–अलग विधि विज्ञान प्रयोगशाला फाफामऊ प्रयागराज, विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भी परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है।

पत्रावली के सम्यक रूपेण परिशीलन से विवेचक द्वारा, मृतक मुकेश पाठक के सुसाईड नोट पर अंकित हस्ताक्षर को मृतक के पुत्र राहुल पाठक से प्रमाणित कराया जाना भी दर्शित होता है ।

विवेचक द्वारा अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 वादी मुकदमा तथा मृतक के पुत्र राहुल पाठक व मृतक मुकेश कुमार पाठक के अन्य पुत्र शिवम पाठक तथा मृतक मुकेश कुमार पाठक के रिश्ते के भाई मनोज त्रिवेदी व अन्य साक्षियों के बयान अंकित किये हैं और साक्षियों के बयान तथा संकलित साक्ष्य सामग्री के आधार पर विवेचक द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया है और इस प्रकरण को विचारण हेतु विधि के प्राविधान के अनुसार सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया है।

जिस प्रकार की विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है, उसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–306, 504, 506 भा0दं0सं0 आरोप विरचित करने के **प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त आधार** दर्शित होते हैं। इस स्तर पर न्यायालय को प्रकरण का निस्तारण मिनी ट्रायल की भांति नहीं करना है और न ही इस स्तर पर साक्ष्य के सूक्ष्म मूल्यांकन की आवश्यकता है।

इस स्तर पर **आरोप विरचित करने के प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त आधार** दर्शित होने की स्थिति में न्यायालय के मत में अभियुक्त छत्रपाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 10ख वास्ते उन्मोचन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त छत्रपाल की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र 10ख निष्कर्षानुसार निरस्त किया जाता है।

अभियुक्तगण पर आरोप अन्तर्गत धारा 306, 504, 506 भा0दं0सं0 विरचित किये जाने के प्रथम दृष्टया उचित आधार दर्शित होते हैं। अतः पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक 22.10.2021 को पेश हो।

दिनांक–08.10.2021

(राजीव कुमार पालीवाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1 /
विशेष न्यायाधीश, द0प्र0क्षे0 महोबा।
J.O No.U.P-6305

Digitally signed by Rajeev Kumar Paliwal
Date: 2021.10.08 15:54:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court